



प्रेस नोट जनपद गाजियाबाद दिनांक 18.10.2021

थाना लोनी पुलिस द्वारा एक नफर अभियुक्त 01 अदद नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार

थाना लोनी पुलिस द्वारा अभियुक्त शाहिद उर्फ राजा पुत्र लियाकत अली निवासी 30 फुटा रोड मदीना मस्जिद अशोक विहार लोनी गा0बाद को मय 01 अदद चाकू नाजायज के साथ निठोरा रोड चौकी क्षेत्र अशोक विहार से दिनांक 18.10.2021 समय 04.30 बजे गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

शाहिद उर्फ राजा पुत्र लियाकत अली निवासी 30 फुटा रोड मदीना मस्जिद अशोक विहार लोनी गा0बाद

बरामदगी का विवरण:-

01 अदद चाकू नाजायज



श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गाजियाबाद व श्रीमान सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर गाजियाबाद के निर्देशन में थाना प्रभारी थाना मुरादनगर के नेतृत्व में थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा आज दिनांक 18.10.2021 को चैकिंग के दौरान नाबालिग लडका(उम्र 17 वर्ष) के साथ कुकर्म करने वाला अभियुक्त रोहित पुत्र पिन्टू नि० ग्राम धेदा थाना मुरादनगर गा०बाद को ओ०एफ०एम० गेट के पास से गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्त को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार शुदा अभियुक्त-

रोहित पुत्र पिन्टू नि० ग्राम धेदा थाना मुरादनगर गा०बाद

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 1046/21 धारा 323,342,377,504,506,379 भादवि व 7/8 पोक्सो अधि० थाना मुरादनगर गा०बाद



थाना विजयनगर पुलिस द्वारा एक शातिर मादक पदार्थ तस्कर मय 01 किलो 200 ग्राम गांजे सहित गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजयनगर पुलिस को अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर पुलिस द्वारा दिनांक 17.10.2021 को चेकिंग के दौरान एक शातिर गांजा तस्कर **1. शाहरुख** को सिद्धार्थ विहार के पास थाना विजयनगर क्षेत्र से मय **1 किलो 200 ग्राम गांजा नाजायज के गिरफ्तार किया गया।**

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1- शाहरुख पुत्र अब्बास नि० चांदमारी झुग्गी झोपडी, थाना विजयनगर, गा.बाद मूल पता - बडा मौहल्ला, लाल डिग्गी, कस्बा व थाना गुलावटी, बु.शहर उम्र 27 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण

- 1- मु.अ.स. 1419/21 धारा 8/20 NDPS Act. थाना विजय नगर गाजियाबाद
- 2- मु.अ.स. 213/21 धारा 60/63 आबकारी अधि. थाना विजय नगर गाजियाबाद
- 3- मु.अ.स. 1059/20 धारा 8/22 NDPS Act. थाना विजय नगर गाजियाबाद
- 4- मु.अ.स. 148/19 धारा 8/20 NDPS Act. थाना विजय नगर गाजियाबाद
- 5- मु.अ.स. 831/18 धारा 8/20 NDPS Act. थाना विजय नगर गाजियाबाद
- 6- मु.अ.स. 1220/18 धारा 8/20 NDPS Act. थाना विजय नगर गाजियाबाद
- 7- मु.अ.स. 147/17 धारा 436 भादवि थाना विजय नगर गाजियाबाद
- 8- मु.अ.स. 1068/15 धारा 4/25 A. Act. थाना सिहानीगेट गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण

1. एक किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा



चैकिंग अभियान के दौरान 01 नफर वांछित अभि0 को किया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद श्री पवन कुमार आईपीएस के आदेशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर श्री निपुण अग्रवाल आईपीएस के दिशा निर्देशन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी सिहानीगेट श्री अवनीश कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक श्री देवपाल सिंह पुण्डीर के कुशल नेतृत्व में थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा बीती रात समय करीब 18.35 बजे थाना सिहानीगेट के मु0अ0सं0 1111/21 धारा 323/504/506/452/354/354ख/420/406 भादवि में वांछित अभि0 राजू पुत्र ब्रह्म सिंह चौहान निवासी ग्राम हुसैन पुर थाना मुरादनगर गा0बाद को मुखबिर की सूचना पर पुराना बस अड्डा से गिरफ्तार किया गया।

अपराध का तरीका:-

दिनांक 03/09/21 को वादी श्री विशाल त्यागी द्वारा मा0 न्या0 के आदेशानुसार धारा 156(3) सीआरपीसी के अन्तर्गत अभि0 राजू आदि के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 1111/21 धारा 323/504/506/452/354/354ख/420/406 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसमें अभि0गण द्वारा वादी से 14 लाख रु0 उधार ले लेना व मांगने पर घर में घुसकर गाली गलौच कर मारपीट करना जान से मारने की धमकी देना व वादी की पत्नी के कपडे फाड देना व बदतमीजी करने के सम्बन्ध में

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

राजू पुत्र ब्रह्म सिंह चौहान निवासी ग्राम हुसैन पुर थाना मुरादनगर गा0बाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 1111/21 धारा 323/504/506/452/354/354ख/420/406 भादवि थाना सिहानीगेट में वांछित

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री कुशलपाल सिंह थाना सिहानी गेट गाजियाबाद

2.का0 1891 गौरव वन थाना सिहानी गेट गाजियाबाद



प्रेस नोट:-

दिनांक- 18.10.21 थाना भोजपुर, गाजियाबाद



आज दिनांक 18.10.2021 को एक वृद्ध महिला रामवती, उम्र करीब 75 वर्ष पत्नी रामवीर सिंह निवासी ग्राम मदारपुरा थाना सरधना मेरठ की रहने वाली हैं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ ग्राम कनकपुर में आई थी और घर से बिना बताए निकल आई थी और रास्ता भूल गई थी। थाना भोजपुर पुलिस द्वारा सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए उन्हें थाने पर लाया गया तथा मेरठ में परिजनों से सम्पर्क कर उन्हें बुलाकर सकुशल उनके सुपुर्द किया गया। परिजनों द्वारा गाजियाबाद पुलिस की मुक्तकंठ से प्रसंसा की गई।

